

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड़  
 अरविन्द कुमार बनाम नितेश राज खींची व अन्य  
 केस संख्या 150...../2025 अपील विरुद्ध नामान्तरकरण


क0	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से
स0	आज्ञा या कार्यवाही	

18/11/25

आज यह जापानी पेश हुई। अपीलार अरविन्द कुमार की ओर से वकील श्री धीतेश गुप्ता ने एवं रेषको नितेश राज की ओर से वकील श्री अमरेश शर्मा ने पेश किया। शां. सि. रै। वकील उमपपत्रकारण ने राजीनामा पेश कर निकेदन कि कि फलकारण के मध्य कोठ अर्थात् की आवना से राजीनामा के गण्टी अधीनस्थ मापतप तदसीलकार मांषण हरा पास्ति आदेश बाबत विभाजन उमपपत्रों की लक्ष्यती से पास्ति इट जूमि क विभाजन कि गण्टी उमपपत्रा उपरोक्त विभाजन से पूर्णतया सहमत है तथा उपरोक्त अपील में कुछ कोई कार्यवाही नहीं करे है अतः अपील अपीलार खादिज सिंजाने की हुकूम है।

हमने वकील उमपपत्रकारण के सिवै एन पर

पत्राजनी का अवलोकन किया एवं पेश राजीनामा के बखत अपीलार अपीलार एवं रेषको ने दलाकर कि कि विभाजन वकील अपीलार एवं वकील रेषको ने की। वकील उमपपत्रा के निकेदन पर फलकारण की सत्यता होने के कारण इव अपीलार खादिज कीजती है तथा दिनांक 29/09/25 को जयि स्थान आदेश निरस्त कि गण्टी फलकारण के शुरुआत के मध्य से कुछ हो। नद प्रति दाखिल कर

  
 जिला कलक्टर  
 कोटपूतली-बहरोड़